सर्वोच्च प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या- 5/2023 /700 /90-सं0शि0प0का0/2023-02(सं0शि0)/2015

प्रेषक,

जे0पी0सिंह-II,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त मण्डलायुक्त/ समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 27 अप्रैल, 2023**

विषय: मा0 संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के कडाई से अनुपालन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि मा0 संसद सदस्यों एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में संसदीय कार्य विभाग व संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग से विभिन्न स्वत: स्पष्ट शासनादेश निर्गत हैं। पूर्व में निर्गत विभिन्न शासनादेशों के अनुक्रम में अद्यतन शासनादेश संख्या-06/2021/1365/90-सं0शि0प0का0/2021-02 (सं0शि0)/2015 दिनांक-11-11-2021, शासनादेश संख्या-01/2022/440/90-सं0शि0प0का0/2022-08(सं0शि0)/ 2019 दिनांक-11-05-2022, शासनादेश संख्या-02/2022/539/90-सं0शि0प0का0/2021-02(सं0शि0)/2015 दिनांक-14-06-2022 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/200/90-सं0शि0प0का0/2021-02(सं0शि0)/2015 दिनांक-03-02-2023 निर्गत है, जो उत्तर प्रदेश की शासनादेश संबंधी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि है उपरोक्त निर्गत शासनादेशों के उपरान्त भी प्रोटोकाल उल्लंघन के प्रकरण निरन्तर प्रकाश में आ रहे हैं जिससे यह परिलक्षित होता है कि उक्त शासनादेशों का अधिकारियों द्वारा सम्यक अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में दिनांक 10-04-2023 को सम्पन्न मा0 संसदीय अनुश्रवण समिति की बैठक में मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा प्रोटोकाल-उल्लंघन के प्रकरणों पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये आदेश दिये गये हैं कि जो भी अधिकारी/कर्मचारी मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के संबंध में निर्गत इन शासनादेशों का उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही करते हुये प्रत्येक दशा में उपरोक्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे पुन: यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दें कि वे संसदीय कार्य विभाग व संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग द्वारा निर्गत विभिन्न शासनादेशों मे दिये गये निर्देशों के अनुसार मा0 संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करें । इसका अनुपालन न होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध उ०प्र०सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली-1999 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाय। प्रत्येक प्रशासकीय विभाग का दायित्व है कि ऐसे मामले की पाक्षिक/मासिक अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाय तथा उसकी आख्या संसदीय कार्य विभाग को भेजी जाय।

कृपया इस शासनादेश का प्रत्येक दशा में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय,

(जे0पी0सिंह-II)
प्रमुख सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 5/2023/700 (1)/90-सं0शि0प0का0/2023-02(सं0शि0)/2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2- निजी सचिव, मा0 संसदीय कार्य मंत्री, उ0प्र0।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश ।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6- विशेष सचिव, विधान सभा समिति (सामान्य) अनुभाग-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पूनम त्रिवेदी)
विशेष सचिव/अपर
विधि परामर्शी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।